

**समिति, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 15-4-2020

-कार्यालय ज्ञान-

अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय जौह इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु कियोगा सार्वजनिक तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-4-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक कायमता में बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रेम क्षमता दृष्टि संबंधित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-4 में कियोगा इन कार्यालय पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का विवरण निम्नलिखित किया गया -

सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली कियोगा इन कार्यालय संस्थाएं जिन्हें पीएसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीएसीआईओ अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जावे एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सामग्री पीएसीआईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।

दिनांक 14-04-2020 को अग्ररूप सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रथम अंकित प्रेम क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	पीएसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित किया गया	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रेम क्षमता
1	कनका	उत्तर कनका अकेडमी जौह कार्यालय, सिविल-जौह, 110-बाबाजी, कनका-बिहार-277301	कियोगा इन कार्यालय	हां	हां

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ पीएसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्गत अनुमोदन पत्र में संस्था का नाम सुनिश्चित है, जिसे संस्था द्वारा पीएसीआईओ को प्रस्तुत किया गया है। संस्था को संस्था के नाम के अंतर्गत सत्र 2020-21 हेतु संस्था की सम्बद्धता प्रदान कर दी जाएगी।
- ✓ संस्था एआईआईटीआईओ/पीएसीआईओ द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद पत्र संख्या उत्तर प्राथमिक शिक्षा परिषद सिविल-जौह 1872, बिहार सिविल-जौह-2018 तथा अन्य निर्धारित निर्देशों एवं कार्यवाही को अनुक्रम में सभी का पूर्ण निरीक्षण संबंधित द्वारा निर्धारित सूचना तैयार करके प्रेषित करेगी हेतु पत्र सं. 1872/0/-



प्रमाणों को नहीं करने की पर्याप्तता हेतु ₹- 48,000.00/- प्रमाण एवं एक लाख दो सौ हजार पाठ्यक्रमों (दो सौ हजार कार्नेली पाठ्यक्रम की अधिसूची) हेतु ₹- 22,000.00 प्रमाण शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से जमा किया जाएगा। उपरोक्त की अधिसूची छात्र/छात्राओं से शुल्क की सहाय्य से समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सासनार्थक प्रकाशित होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। पीछे निर्धारित तिथि द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीछे का पुनर्विचार किया जाता है, तो पीछे की तारीखों पर लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (अथवा प्राथमिक शिक्षा समितिओं तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाए) विनियमनवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की विका सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सासनार्थक के अनुसार विवरण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/रिजिस्ट्रार/विशेषीयों से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अधिनियम/सासनार्थक/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों आदिकों निर्देशों का पालन करने के लिये तत्पर होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्नेली पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस सम्बन्ध में सासन उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था सास्य उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई दर दायर किया जाता है तथा दायर कर की संस्था में नए आधारभूत द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी कार्य निर्गत किया जाता है तो सासन प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्नेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तत्पश्चात् द्वारा जल्दो वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु सासनार्थक प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अथवा संस्था स्तर पर लीके प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत तारीखों आवागमन विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सासन सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिकृति, स्टाफ, सास्य-सामग्री, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, प्रकाशन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यालय-प्रविष्टान हेतु उपयुक्त सासाधारण उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक लेखने के सम्बन्ध में सासन आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रकाशित/संघटित पाठ्यक्रम को प्रकाशित करने हेतु विद्यालय समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिसूचक, भूमि-सत्र, फनीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता सहाय्य किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमान अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(80 अक्षरों में)
अक्षर

पृष्ठ- प्रमाण/पीछे सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

उप दिनांक 18-08-2020

प्राथमिक-विद्यालय/निदेशक, उप चयन आदेश की कार्यवाही, विनियम-अनुमति, 180-सासनार्थक
जनपद-बलिया-277301

(Handwritten signatures and stamps)

JAI CHAMAN COLLEGE OF PHARMACY



Vill- Asega, Post- Suryapura, Tahsil- Bansdih
Distt- Ballia (U.P.) 277301



E-mail: mbscopharmacy@gmail.com

Mob: 9125044250

Ref: J.C.P/22/11/22

Date: 21/11/2022

सेवा में

कोड - 4160

प्रति

राज्य शिक्षा परिषद, अजमेर

उ.प्र.

विषय - सत्र 2021-22 में शुल्क देने के संबंध में

संदर्भ -

आपको अवगत जाना है कि सत्र 2021-22 शुल्क देने के कारण अधिकांश अपरसेट document में सत्र 2021-22 का संबन्ध विस्तार पर नहीं है।

DR. B. K. SINGH
Principal
Jai Chaman College of Pharmacy
Vill- Asega, Post- Suryapura, Tahsil- Bansdih
Distt- Ballia (U.P.) 277301

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

-कार्यालय आप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ(प्र) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ(प्र) लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4180-JAI CHAMAN COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों की ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ(प्र),



संगुल प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संगुल प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद दाख किया जाता है तथा टावर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्यात किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संगुल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सचका सुरक्षा जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रांत किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संघानित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराए गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पुं0नं0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, JAI CHAMAN COLLEGE OF PHARMACY



(एफ0आर0 खान)

सचिव



कार्यालय,

महिन प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ, दिनांक: 12-09-2023

-कार्यालय साप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचाल हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 4180-JAI CHAMAN COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०डी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 डी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थाओं की तौर के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दायित्व रिट दायित्व संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा नियमित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (पुस्तक भवन, लेब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधि, विधियों, अधिनियमों, कानून/टोकन/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रसिद्धि विज्ञापन, 2000 संयुक्त प्रदेश प्रोविसा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनाये गये नियमों, रजिस्ट्रार, अटॉरनी, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपरोक्त विज्ञापन का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बंधा उपरोक्त होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रोविसा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई काद टाया किया जाता है तथा टाया काद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की एजिडुती संबंधी अटॉरनी नियत किया जाता है तो संस्था एजिडुती संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्रोविसा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रोविसा एवं के लिए अर्जितित प्रदेश प्रोविसा हेतु अर्जितित प्राप्त होने के पूर्व अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद अर्जितित को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोविसा हेतु संस्था-संस्था पर निर्गत नॉटीफिकेशन आदेशक नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के सुदृष्टता पोर्टल पर संस्था की संस्था सुदृष्टता जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुंति भुक्ति, सार्व, सार्व-सर्वगत, उपकरण, आंग किया जाने वाले सुदृष्ट, सार्वसंग सुदृष्ट अटॉर का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रबंधन हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ सैलिंग टोकन के सम्बन्ध में संस्था अंततः उपलब्ध सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में उपलब्ध/अपलब्ध परलक्षण को पालने जाने हेतु विरहित सतिधि के संस्था उपलब्ध कराने गये। अधिनियम, भुक्ति-भवन, पत्नीकर, उपकरण सुदृष्टि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परलक्षण के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता साधन किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (सामिति और उपसमिति) संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाकर विविधतावादी, 2000 के अधिनियम/सुदृष्टता परिषद की प्राण पर अपने कार्यवाही, भवनों और कार्यवाही को परिषद को प्रोविसा के संस्थान के लिए परिषद के अधिनियम में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिका सार्वसंग विरहित के टोकन यदि संस्था में भुक्ति, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सार्व-सर्वगत (00000000000/00000000000/परिषद के अनुरोध/सुदृष्टता उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता साधन कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का उपलब्ध किये जाने की विधि में विविधतावादी अनुपालन/सर्वगत कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पू0भा0- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य, निदेशक, JAI CHAMAN COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव